



**Madhya Pradesh
Tenders**

eProcurement System Government of Madhya Pradesh

Tender Details

Date : 11-Apr-2026 04:30 PM

Print

Basic Details

Organisation Chain	MP Forest Department MP Forest - Jabalpur Circle Division Jabalpur		
Tender Reference Number	919		
Tender ID	2026_MPDF_499671_1	Withdrawal Allowed	Yes
Tender Type	Open Tender	Form of contract	Item Rate
Tender Category	Goods	No. of Covers	2
General Technical Evaluation Allowed	No	ItemWise Technical Evaluation Allowed	No
Payment Mode	Online	Is Multi Currency Allowed For BOQ	No
Is Multi Currency Allowed For Fee	No	Allow Two Stage Bidding	No

Payment Instruments

Online Bankers	S.No	Bank Name
	1	INDUSIND BANK
	2	INDUSIND NEFT/RTGS

Cover Details, No. Of Covers - 2

Cover No	Cover	Document Type	Description
1	Fee/PreQual/Technical	.pdf	Tender Documents
2	Finance	.xls	BoQ

Tender Fee Details, [Total Fee in ₹ * - 1,295]

Tender Fee in ₹	1,000	Processing Fee in ₹ (18.00% GST Incl.)	295	Fee Payable To	Nil	Fee Payable At	Nil
Tender Fee Exemption Allowed	No						

EMD Fee Details

EMD Amount in ₹	20,000	EMD Exemption Allowed	Yes
EMD Fee Type	fixed	EMD Percentage	NA
EMD Payable To	Nil	EMD Payable At	Nil

Click to view modification history

Work /Item(s)

Title	PVC Items tender				
Work Description	PVC Items tender				
Pre Qualification Details	Please refer Tender documents.				
Independent External Monitor/Remarks	ok				
Show Tender Value in Public Domain	Yes				
Tender Value in ₹	15,00,000	Product Category	Miscellaneous Goods	Sub category	NA
Contract Type	Rate Contract	Bid Validity(Days)	270	Period Of Work(Days)	15
Location	Jabalpur	Pincode	482001	Pre Bid Meeting Place	NA
Pre Bid Meeting Address	NA	Pre Bid Meeting Date	NA	Bid Opening Place	Division Office Jabalpur
Should Allow NDA Tender	No	Allow Preferential Bidder	No		

Critical Dates

Publish Date	11-Apr-2026 04:30 PM	Bid Opening Date	04-May-2026 09:00 AM
Document Download / Sale Start Date	12-Apr-2026 10:00 AM	Document Download / Sale End Date	02-May-2026 05:00 PM
Clarification Start Date	NA	Clarification End Date	NA
Bid Submission Start Date	12-Apr-2026 10:00 AM	Bid Submission End Date	02-May-2026 05:00 PM



कार्यालय, वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जबलपुर मध्यप्रदेश

फोन : +91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्रमांक/व्यय/Hri./2025-26/919
प्रति,

जबलपुर, दिनांक/10/04/2026


संचालक
विज्ञापन शाखा
जनसंपर्क भवन परिषद
म.प्र. भोपाल

विषय :- निविदा विज्ञापन प्रकाशन बाबत।

—00—

जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत अधोसंरचना विकास कार्यों में उपयोग हेतु सामग्रियों का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाना है जिस हेतु निविदा विज्ञापन की प्रति आपको भेजी जा रही है। कृपया विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक ..14/04/2026 तक प्रकाशित करने का कष्ट करे, साथ ही समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमंडलाधिकारी


सामान्य वनमंडल जबलपुर

पृष्ठांकन/व्यय/Hri./2025-26/919

जबलपुर दिनांक/ 10/04/2026

प्रतिलिपि :1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न :- विज्ञप्ति की प्रति।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर



खंड -I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन


कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या _____/ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक _____/2026

1. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं लेखा उपार्जन नियम 2015(यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र	सामग्री का विवरण	इकाई	अनुमानित मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	विटरस चाईना ओडीसा पैटर्न W.C.पान फुटेरेस्ट-580X440mm	NOS	-	20000.00/-	1000.00/-
2	PVC Flush System 10 Ltr.	NOS			
3	PVC 6kg. 125 mm Casing Pipe	NOS			
4	PVC 6kg. 100 mm Casing Pipe	NOS			
5	CPVC 40mm Pipe	NOS			
6	CPVC 25mm Pipe	NOS			
7	CPVC 15mm Pipe	NOS			
8	CPVC 40mm Socket	NOS			
9	CPVC 25mm Socket	NOS			
10	CPVC 15mm Pipe	NOS			
11	CPVC 40mm Elbow	NOS			
12	CPVC 25mm Elbow	NOS			
13	CPVC 15mm Elbow	NOS			
14	CPVC FABT, MABT	NOS			
15	CPVC MABT	NOS			
16	स्टील एगिलकाग (नल)	NOS			
17	PVC Water Storage Tank500 Ltr.	NOS			
18	PVC वाल 40 mm	NOS			
19	Water Tank Fitting inlet and outlet fitting Socket PVC	NOS			

- नोट :- समस्त सामग्री BIS के मानक अनुसार हो एवं उनमें BIS मानक अर्थात ISI Standard का चिन्ह होना अनिवार्य है।
- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 12.04.2026 बजे 10:00 AM से दिनांक 02.05.2026 बजे 05:00 PM तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 28.04.2026 समय 04:00 PM से 05:00 PM तक सामान्य वनमंडल जबलपुर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
निविदा से संबंधित समय सारणी ऑनलाइन <https://www.mptenders.gov.in/> पोर्टल में देखी जा सकती है।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- टीप-उपरोक्त तिथि अनुमानित है कार्य सुविधा अनुसार तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल:
<https://www.mptenders.gov.in/>


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. अंतर्गत वानिकी कार्य/अधोसंरचना विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्रियों के क्रय हेतु दरो की निविदा
2.	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	
3.	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000.00 + प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4.	सत्यांकर निधि	20000.00/-
5.	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6.	निष्पादन सुरक्षा	20000.00/-
7.	अनुमानित निविदा मूल्य	1500000.00/-
8.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
9.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
10.	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
11.	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
12.	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें

- निविदा की स्वीकृत दरो की वैधता सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के बीच आपसी सहमति के अधीन 90दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
- वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- प्रति निविदाकार एक निविदा:

(ब) निविदा दस्तावेज

निविदाकारो को अपनी निविदा के साथ निम्न लिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

- I. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- II. पैन कार्ड
- III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
- IV. 100 रूपये के स्टांप पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1
- V. पूरा अनुलग्नक-2
- VI. पूरा अनुलग्नक-3
- VII. सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण-पत्र
- VIII. दुकानों और प्रतिष्ठान पंजीकरण
- IX. एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र यदि ई.एम.डी. छूट मांगी गई है
- X. स्टार्टअप इंडिया प्रमाण-पत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4.खंड (I) और (II))
- XI. अनुलग्न - 4 (पूर्व योग्यता मापदण्ड) की कंडिका II के अनुरूप पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मद्दो की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होनी चाहिए।

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। एसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

टीप :- निविदाकार को सामग्री का प्रदाय परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बताये गये कार्य स्थल तक पहुंचाना होगा। तथा सामग्री प्रदाय हेतु परिवहन में होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा, परिवहन हेतु की भी प्रकार का भुगतान विभाग द्वारा प्रथम से नहीं किया जावेगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहा लागू हो)

जहा भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

- 9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जायेगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाईट पर अधिसूचित किया जायेगा, और निविदाकारो को अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।
- 9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। एसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाये जाने वाले किसी भी मामले पर सवालियों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।
- 9.3 निविदापूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाये गये प्रश्नों का सार और दिये गये उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किये गये किसी भी उत्तर को शामिल किया जायेगा, वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधित करना आवश्यक समझता है तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जायेगा।
10. सत्यांकार निधि (ई.एम.डी.)
- 10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जायेगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

- 10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
- 10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथा शीघ्र वापिस कर दी जायेगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
- 10.5 सत्यांकार निधि जप्त की जा सकती है:
- 10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदाकार जान बूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

- 10.6 सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसपर सवाल नहीं उठाया जायेगा।
11. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएँ और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जायेगी।
12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिये दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
13. पूर्व योग्यता मापदण्ड अनुलग्नक 4 में दिये गये हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफों में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार होगा।
14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जायेगी।
15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करानी चाहिए और पोर्टल पर दिए गये बिल की मात्रा (BOQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत में शामिल होगी। निविदाकार वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमंडल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जी.एस.टी. अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

2014/12 दिनांक 07 11 2014

1 14 अन्य सामग्री - 1

सभी सम्भावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है की वे सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करे और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करे। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा- काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन:-

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है। [गैर- भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियां या प्रारूप संबंधी मुद्दे]
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनउत्तरदायी माना जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जावेगा। इसी प्रकार, यदि समिति/ वनमंडलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एस समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जावेगा।
25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्न लिखित आधार पर ठीक किया जायेगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जायेगा। यदि शब्दों और आकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार:

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जायेगी। यदि ऐसा होता है की विभिन्न सामग्रियों के लिये प्राप्त न्यूनतम दरे अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किये जायेगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरे हैं।
29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा की उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे उस निविदा के लिये सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंक को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) या बैंक गारण्टि के रूप में वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) या बैंक गारण्टि की वैधता अनुबंध की समपूर्ण अवधि से उमाह से अधिक अवधि के लिये होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकी, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिये वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापिस कर दी जायेगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकी, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना म.प्र. भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अनुरूप की जायेगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिये निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिये बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकारी होगा। संदेह से बचने के लिये पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं की निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के नियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से काटौती कर सकता है, जैसे की वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा है। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं है :-
- निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या, निविदाकार ने एसी सामग्री प्रदाय की जो समिति/वनमंडलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इस लिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
 - निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है।
 - यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।
 - निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्ररूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के प्ररूप में माना जायेगा। काम शुरू करने के लिये निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
- 32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये निविदाकर्ता के लिये अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) जप्त कर ली जायेगी।
33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुये 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसे वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेन-देन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल म.प्र. के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधिण होगा।

ई.अन्य नियम और शर्तें

36. ब्लेक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में सफल निविदाकार को प्रतयेक बिल/चालान के साथ रॉयलटी रसीद प्रदान करनी होगी।
37. जहा भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटोती की जाएगी।
38. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
39. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परिक्षण करवा सकता है। सामग्री का परिक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जायेगा और परीक्षण शूलक आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटीया पाई जाती है तो कोई भी भुगतान नहीं किया जायेग, निष्पादन सुरक्षा जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जा सकता है।
40. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तें और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गये किसी भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजो को अपलोड नहीं करते हैं।
- 40.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किये गये दस्तावेजो में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती है।

उपजाउ मिट्टी, जैविकखाद, गौबर खाद और मुरूम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिये निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जायेगा और इसके लिये कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

- 40.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/ पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी। यदि कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रा होगी और उसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि यदि सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें समायोजित की जायेगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी।
- 40.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दानो तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
41. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

अनुलग्नक -1

प्रारूप : स्वघोषित - काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र
रूपये 100/- स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक -

सेवा में,

वनमंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर, जिला जबलपुर म.प्र.

महोदय/महोदया,

दिनांक _____ के निविदा संदर्भ संख्या _____ के प्रत्युत्तर में,
_____ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम
घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म _____ का
रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनश्चित
काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित
नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म

_____ निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा
भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न
ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई
सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम :-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

संगठन की मुहर :-

दिनांक :-

स्थान :-

अनुलग्नक -2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/ फर्म का विवरण

1. निविदाकर्ता/ फर्म का नाम :- _____
2. पिता _____ का _____ नाम _____ :-

3. स्थायी पता मकान क्रमांक :- _____

- गली क्रमांक :- _____
- स्थान :- _____
- जिला _____ पिन कोड _____
4. कार्यालय _____ का _____ पता _____ :-

गली क्रमांक _____
- स्थान _____
- जिला _____ पिन कोड _____
5. सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) का विवरण प्रकार:- एफ.डी.आर./बैंक गारंटी _____
संख्या _____ दिनांक _____
- राशि _____
- बैंक _____ का _____ नाम _____
6. जी.एस.टी. नंबर _____

निविदाकार के हस्ताक्षर



घोषणा

में, _____

पिता/पति _____

घोषणा करता हू कि उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगती पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मेने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तें, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ा और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हू।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



अनुलग्नक -3

प्रारूप: समाग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण-पत्र

मैं/हम _____ जानता हू/ जानते हैं कि
समाग्री की आपूर्ति का दायरा सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र
होगा। मैं/हम _____ सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के अंदर किसी भी
दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत है।

मुझे/हमे क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मेने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए
आवेदन करने से पहले कार्य स्थलो के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य
स्थितियों को समझते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर



अनुलग्नक -4

पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

“पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकर्ता द्वारा दी गई निविदा के मद्दो की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मद्दों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।”

संयुक्त उध्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उध्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्न लिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उध्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामांकित किया जायेगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्तांतरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा,
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो,
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उध्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा,
 - घ. संयुक्त उध्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इसी आशय का एक कथन उपर [सी]के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में]
 - ङ. संयुक्त उध्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उध्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उध्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/ संशोधित नहीं किया जाना चाहिए,
 - च. संयुक्त उध्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
 - छ. भागीदारों द्वारा किये गये संयुक्त उध्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मापदण्डों के साथ निविदाकार निष्पादन और निर्धारित करने के लिए संयुक्त उध्यम के प्रत्येक भागीदार के आकड़े एक साथ जोड़े जायेंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उध्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. संयुक्त उध्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उध्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उध्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें
5. संयुक्त उध्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उध्यम में भागीदारों का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"
---------	----------------	---------------------------	-----------	-----------

अनुलग्नक -7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक _____ को वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. और मेसर्स _____ (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे निविदाकार "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकी निविदाकर्ता चाहता है की निविदाकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसे की आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या एसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - I. स्वीकृति पत्र
 - II. निविदाकारों को निर्देश
 - III. अनुलग्नक 1 से 3
 - IV. बिलों की मात्रा (BOQ) और
 - V. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर _____ इस पर निम्नलिखित

की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त _____ द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त

_____ की उपस्थिति में:

वनमंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर